

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

ई-मेल :- acfood-rj@nic.in

दूरभाष नंबर:- 0141-2227117, 2227911

क्रमांक एफ 2(10)खा.वि./स्था.प्र/2024

जयपुर, दिनांक 14/03/2024


आदेश

राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा नियम, 1976 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 07.03.2024 में की गई अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित विभागीय सहायक आयुक्त से विभागीय उपायुक्त (पे-लेवल L-16, ग्रेड-पे 6600) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध एतद्वारा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	श्रेणी	जन्मतिथि	रिक्ति /डी.पी.सी. वर्ष	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री रामचरण मीणा	अनुसूचित जनजाति	15.04.1977	2022-23	01.04.2022	सामान्य श्रेणी के विरुद्ध

इनका वेतन निर्धारण एवं पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(रामस्वरूप)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (राज.)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
6. समस्त अधिकारीगण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
7. श्री रामचरण मीणा, सहायक आयुक्त (जिला रसद अधिकारी, सतर्कता) खाद्य विभाग (मुख्यालय), जयपुर।
8. निजी पत्रावली श्री रामचरण मीणा, सहायक आयुक्त (जिला रसद अधिकारी, सतर्कता) खाद्य विभाग (मुख्यालय), जयपुर।
9. विभागीय गोपनीय प्रतिवेदन / जांच / भुगतान शाखा।
10. रक्षा पत्रिका।


उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव